भारत सरकार

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1911

31, जुलाई 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

सभी के लिए आवास

1911. श्री नारायण तातू राणेः

श्रीमती गनीबेन नागाजी ठाकोरः

क्या **आवासन और शहरी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश भर में प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी (पीएमएवाई-यू) के कार्यान्वयन की मौजूदा स्थिति क्या है;

(ख) क्या यह सच है कि पीएमएवाई-यू विश्व के सबसे बड़े शहरी आवास कार्यक्रमों में से एक है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) पिछले पाँच वर्षों के दौरान पीएमएवाई-यू के अंतर्गत स्वीकृत, निर्मित और लाभार्थियों को आवंटित कुल आवासों की संख्या कितनी है;

(घ) सभी के लिए आवास पहल के अंतर्गत सरकार द्वारा अगले तीन वर्षों के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं और 2025 तक उक्त लक्ष्य को प्राप्त करने में हुई देरी या आने वाली चुनौतियों का ब्यौरा क्या है और तत्संबंधी कारण क्या हैं;

(ङ) देश भर में, विशेषकर महाराष्ट्र में, शहरी गरीबों को आवास उपलब्ध कराने के लिए सरकार द्वारा किए गए विभिन्न तकनीकी और सुधारात्मक उपायों का ब्यौरा क्या है; और

(च) पिछले तीन वर्षों के दौरान उक्त योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा स्वीकृत, जारी और उपयोग की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री

(श्री तोखन साहू)

(क) से (च): आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (एमओएचयूए) 25.06.2015 से देश की सबसे बड़ी आवास योजनाओं में से एक, प्रधान मंत्री आवास योजना - शहरी (पीएमएवाई-यू) का क्रियान्वयन कर रहा है, जिसका उद्देश्य देश भर के पात्र शहरी लाभार्थियों को बुनियादी नागरिक सुविधाओं के साथ हर मौसम में रहने योग्य पक्के आवास उपलब्ध कराना है। पीएमएवाई-यू के कार्यान्वयन के अनुभवों से प्राप्त सीख के आधार पर, आवासन और शहरी

कार्य मंत्रालय ने इस योजना को नया रूप दिया है और अगले पाँच वर्षों में 1 करोड़ अतिरिक्त पात्र लाभार्थियों को सहायता प्रदान करने हेतु देश भर के शहरी क्षेत्रों में कार्यान्वयन हेतु 01.09.2024 से पीएमएवाई-यू 2.0 'सभी के लिए आवास' मिशन शुरू किया है। पीएमएवाई-यू 2.0 को चार घटकों अर्थात् लाभार्थी-आधारित निर्माण (बीएलसी), साझेदारी में किफायती आवास (एएचपी), किफायती किराया आवास (एआरएच) और ब्याज सब्सिडी योजना (आईएसएस) के माध्यम से कार्यान्वित किया जाता है।

राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा प्रस्तुत परियोजना प्रस्ताव के आधार पर, मंत्रालय द्वारा पीएमएवाई-यू 2.0 के अंतर्गत 7.09 लाख आवासों सहित कुल 119.26 लाख आवासों को स्वीकृति दे दी गई है। इनमें से 112.81 लाख आवास निर्माणाधीन हैं और 14.07.2025 तक 93.61 लाख आवास बनकर तैयार हो चुके हैं/ देश भर में लाभार्थियों को सौंपे जा चुके हैं। पिछले पाँच वर्षों के दौरान इस योजना के अंतर्गत लाभार्थियों के लिए स्वीकृत, निर्मित और आवंटित कुल आवासों की संख्या और पिछले तीन वर्षों के दौरान सरकार द्वारा स्वीकृत, जारी और उपयोग की गई निधियों का विवरण अनुलग्नक में दिया गया है।

पीएमएवाई-यू और पीएमएवाई-यू 2.0 मांग आधारित योजनाएँ हैं और इनके कोई निश्चित लक्ष्य नहीं हैं। राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र अपने-अपने अधिकार क्षेत्र में शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी)/कार्यान्वयन एजेंसियों के माध्यम से आवश्यकता का आकलन करते हैं, पात्रता मानदंडों के आधार पर लाभार्थियों का चयन करते हैं और आवास परियोजनाओं को क्रियान्वित करते हैं। मांग सर्वेक्षण और लाभार्थियों के चयन के आधार पर, परियोजना प्रस्ताव तैयार किए जाते हैं और राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य सचिवों की अध्यक्षता वाली राज्य स्तरीय स्वीकृति एवं निगरानी समिति (एसएलएसएमसी) द्वारा अनुमोदित किए जाते हैं, ताकि केंद्रीय स्वीकृति एवं निगरानी समिति (सीएसएमसी) द्वारा केंद्रीय सहायता जारी करने पर आगे विचार किया जा सके।

आवासों/परियोजनाओं के पूरा होने की समय-सीमा राज्य-दर-राज्य अलग-अलग होती है और योजना के विभिन्न घटकों में और संबंधित परियोजनाओं की विस्तृत परियोजना रिपोर्टों (डीपीआर) के अनुसार, इसमें आमतौर पर 12-36 महीने लगते हैं। आवासों के पूरा होने की समय-सीमा विभिन्न कारकों पर निर्भर करती है, जैसे कि बाधा-मुक्त भूमि की उपलब्धता, निर्माण शुरू करने के लिए वैधानिक अनुपालन, लाभार्थियों द्वारा निधियों की व्यवस्था आदि। मंत्रालय योजना के कार्यान्वयन की प्रगति की निगरानी और स्वीकृत आवासों के निर्माण को निर्धारित समय-सीमा के भीतर पूरा करने में तेजी लाने के लिए राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों के साथ नियमित समीक्षा करता है।

इस योजना के अंतर्गत, महाराष्ट्र सहित देश में शहरी गरीबों के लिए किफायती आवास सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा कई प्रौद्योगिकीय और सुधार-उन्मुख उपाय किए गए हैं:

i. एक व्यापक और सुदृढ़ प्रबंधन सूचना प्रणाली (एमआईएस) विकसित की गई है जो सभी हितधारकों को भौतिक और वित्तीय प्रगति से संबंधित सूचनाओं का निर्बाध प्रबंधन करने में मदद करती है। एमआईएस, राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र (एनआरएससी) के भुवन पोर्टल और राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी) के भारत ऐप के साथ एकीकृत जियो-टैगिंग सुविधाओं से सुसज्जित है ताकि योजना की वास्तविक समय पर निगरानी और कुशल कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जा सके।

ii. इस योजना की एमआईएस को सूचना के प्रसार के लिए प्रयास डैशबोर्ड, उमंग मोबाइल ऐप, नीति आयोग डैशबोर्ड और डीबीटी भारत पोर्टल के साथ भी एकीकृत किया गया है।

iii. एमआईएस यह सुनिश्चित करती है कि लाभ केवल वास्तविक लाभार्थियों तक पहुंचे, इसके लिए जनसांख्यिकीय, वन-टाइम पासवर्ड (ओटीपी) और चेहरे के प्रमाणीकरण का उपयोग करते हुए लाभार्थियों के आधार सत्यापन के लिए यूआईडीएआई के साथ लिंक स्थापित किया गया है।

iv. यह योजना प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) प्रणाली को अपनाती है, जिसके तहत निधियां सीधे लाभार्थियों के आधार-लिंक्ड बैंक खाते में अंतरित की जाती हैं, जिससे बिचौलियों का सफाया होता है और धोखाधड़ी या दोहराव का जोखिम कम होता है। इसे सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) और पीएमएवाई-यू एमआईएस के साथ एकीकृत किया गया है, जिससे निधि शीघ्रता से जारी होती है और मिशन के तहत आवास वितरण प्रक्रिया की समग्र सत्यनिष्ठा बढ़ती है।

v. राज्य/संघ राज्य क्षेत्र आवास परियोजनाओं के निर्माण के लिए सार्वजनिक/निजी एजेंसियों को एकल खिड़की मंजूरी, अतिरिक्त फ्लोर स्पेस इंडेक्स (एफएसआई)/फ्लोर एरिया अनुपात (एफएआर), विकास अधिकारों का हस्तांतरण (टीडीआर), अतिरिक्त अवसंरचना सुविधाओं का प्रावधान और अन्य राजकोषीय एवं वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान कर सकते हैं।

vi. पीएमएवाई-यू 2.0 राज्यों को किफायती आवास नीतियां बनाने में भी सहायता करता है, ताकि किफायती आवास स्टॉक बढ़ाने में निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहन और बढ़ावा दिया जा सके।

******

दिनांक 31-07-2025 को उत्तर दिए जाने वाले लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1911 के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

पीएमएवाई-यू और पीएमएवाई-यू 2.0 के तहत पिछले पांच वर्षों में प्रत्येक वर्ष की भौतिक प्रगति

वित्तीय वर्ष	स्वीकृत आवास (संख्या)	पूर्ण हुए आवास(संख्या)*	सौंपे गए आवास (संख्या)**
2020-21	15,61,273	14,22,815	13,19,947
2021-22	16,37,364	10,27,744	9,32,638
2022-23	9,27,084	15,42,379	14,96,606
2023-24	3,95,252	8,87,342	9,52,258
2024-25	3,52,915	10,34,435	11,30,257
कुल	**48,73,888**	**59,14,715**	**58,31,706**

* इसमें उस वर्ष में पूर्ण हुए वे आवास शामिल हैं जो पूर्ववर्ती वर्षों के दौरान स्वीकृत किए गए थे।

** इसमें उस वर्ष में सौंपे गए वे आवास भी शामिल हैं जो पूर्ववर्ती वर्षों के दौरान पूर्ण हुए थे।

पीएमएवाई-यू के अंतर्गत पिछले तीन वर्षों के दौरान वर्ष-वार वित्तीय प्रगति

वित्तीय वर्ष	केंद्रीय सहायता (करोड़ रुपये में)		
	स्वीकृत	जारी*	उपयोग की गई **
2022-23	18,272.57	26,277.36	26,679.40
2023-24	5,928.81	19,726.91	15,007.92
2024-25	5,396.30	4,124.09	10,936.31
कुल	**29,597.68**	**50,128.35**	**52,623.63**

* इसमें पिछले वर्षों के दौरान स्वीकृत आवासों के लिए इस वर्ष के दौरान जारी की गई केंद्रीय सहायता भी शामिल है।

** इसमें पिछले वर्षों के दौरान जारी की गई केंद्रीय सहायता में से इस वर्ष के दौरान उपयोग की गई केंद्रीय सहायता भी शामिल है।

*****